

महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून

फार्म सं० २

**महासर्वेक्षक का कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, संपदा टाइप-I, टाइप-II, टाइप-III, टाइप-IV,
टाइप-V में निवासीय आवंटन के लिये आवेदन पत्र।**

महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून के संपदा अनुभाग में उपयोग के लिये क्रम सं०.....टाइप.....
पूर्विकता तारीख.....मोबाईल नं०

1.	आवेदक का नाम (साफ अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम	
3.	पे-बैंड (सातवें वेतन आयोग के अनुसार) (Pay-band as per 7th Pay Commission)	
4.	पद	
5.	जन्म तिथि	
6.	कार्यालय	
7.	क्या अनुसूचित जाति / जनजाति का है?	
8.	प्रथम नियुक्ति तिथि	
9.	स्थानान्तरण होने की व कार्य ग्रहण करने की तारीख (स्थानान्तरण केस में कार्य ग्रहण करने की रिपोर्ट / गमनागमन आदेश की प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।)	
10.	सेवा निवृत्ति की तारीख	
11.	<p>(अ) वह तारीख जिससे कि आवेदक केन्द्रीय राज्य सरकार के अधीन सेवा में जिससे कि विदेश सेवा, यदि कोई हो की तिथि भी सम्मिलित है, निरंतर रहा है उस टाइप के लिये उसकी पूर्विकता तारीख होगी समूह 'D' Group 'D' कर्मचारिवन्द की बाबत आकस्मिक खलासी के रूप में की गई निरन्तर सेवा का 50 प्रतिशत पूर्विकता का अवधारण करने के लिये गणना में लिया जायेगा।</p> <p>(ब) ऐसे पुनः नियोजित सैनिक के मामले में जिसने रक्षा सेवा सीमान्त प्रसुविधाओं की भारतीय सर्वेक्षण विभाग में पुनः नियोजित पर अभ्यापित कर दिया है और जिसके सेवा में भंगों की यदि कोई सक्षम प्रधिकारी द्वारा माफ कर दिया गया है, उसकी पूर्विकता तारीख का अवधारण करने में गणना में लिया जायेगा। यदि किसी अधिकारी की सेवा में एक भंग से अधिक है तो ऊपर वर्णित प्रसुविधा अंतिम भंग से पूर्व की गई निरन्तर सेवा के संबंध में ही अनुज्ञेय होगी।</p>	
12.	निवास का टाइप जिसके लिये आवेदन किया है।	
13.	क्या आप जिस टाइप के निवास के लिये पात्र हैं उससे नीचे के टाइप का आवंटन चाहते हैं? और यदि पहले से आवंटन है तो निवास सं० (टाइप सहित) लिखें।	
14.	आवेदन करने की तिथि को पे-बैंड अनुसार ग्रेड-पे / पे-लेवल	
15.	मूल वेतन 01-01-20.....को नये वेतनमान (Basic Pay as per 7th CPC) अनुसार (वह वेतन जो व्यक्तिगत वेतन विशेष वेतन प्रतिनियुक्त भत्ता आदि को छोड़कर मूल नियम 9(2) के (1) में परिभाषित है।)	
16.	यदि आवेदन पत्र टाइप-V से संबंधित है तो वह तारीख बताई जाये जिससे कि आवेदक लगातार रु० 7600, 8700 और 8900/- ग्रेड पे या तदनुसार पे-लेवल पर है। (मूल नियम 9 2 (क) 1 (के अंतर्गत)	

<p>17. क्या अधिकारी, उसकी पत्नी/उसके पति और नाबालिग बच्चे के नाम स्थानीय अथवा लगी हुई नगरपालिका की सीमा के भीतर स्थित महान हैं? यदि हाँ है तो उक्त मकान का व्यौरा *जो लागू न हो उसे काट दें।</p> <p>(क) मकान सं0.....</p> <p>(ग) जिसके नाम हैं.....</p> <p>(च) ऊपर बताए गए मकान से होने वाली मासिक किराए की आमदनी का लिखित प्रमाण संलग्न है। नगरपालिका प्राधिकारियों द्वारा गृह कर के निर्धारण से संबंधित दस्तावेज अथवा पटटा करार प्रस्तुत करना उपेक्षित है।</p>	<p>हाँ / नहीं*</p> <p>(ख) इलाका / सैकटर.....</p> <p>(घ) मासिक किराए की आमदनी.....</p>
<p>18. (क) क्या आप स्थाई/स्थायित्व/अस्थाई हैं?</p> <p>(ख) यदि आप अस्थाई हैं तो आप संपदा शाखा से जमानत पत्र (Surety Bond) लेकर भरें।</p>	

घोषणा

- (1) मैं वचन देता हूँ कि मैं समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय सर्वेक्षण विभाग संपदा के सरकारी निवासों का आवंटन नियम 2010 का पालन करूँगा/करूँगी।
- (2) मैं प्रमाणित करता/करती हूँ के मेरे पास देहरादून में विभागीय/सामान्य निकाय आवास (General Pool Accommodation) नहीं है।
- (3) मुझे सरकारी आवास के लिए वारित (debarred) नहीं किया गया है।
- (4) मेरे, मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा मेरी नाबालिग संतान के नाम स्थानीय अथवा उससे लगी हुई नगरपालिका की सीमा के भीतर अपना महान है। मुझे, मेरी पत्नी/मेरे पति अथवा मेरी नाबालिग संतान को मकान किराए की आमदनी रु0.....प्रतिमाह है। जब कभी निजी मकान से प्राप्त किराये में वृद्धि होगी तो मैं आवंटन प्राधिकारी को सूचित करूँगा।
- (5) मुझे संपदा निदेशालय अथवा पुनर्वास विभाग द्वारा किसी अन्य सरकारी विभाग द्वारा अथवा अन्य सरकारी/विभाग अन्य सरकारी संगठन अथवा स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अथवा कोई दूसरा मकान आवंटित नहीं है।
- (6) मैंने ऊपर जो सूचना दी है, वह सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख

कार्यालय

सं0...../ दिनांक

महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित। आवेदक द्वारा दिए गए समस्त विवरण की कार्यालय अभिलेख से जाँच कर दी गई है और सही प्रमाणित किए जाते हैं।

कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर:

नाम (साफ अक्षरों में):

पद:

कार्यालय: